अत्यन्त महत्पूर्ण / समयबद्ध

प्रेषक,

वित्त नियंत्रक
विद्यालयी शिक्षा निदेशालय,
ननूरखेड़ा तपोवन रोड देहरादून।

सेवा में,

समस्त वित्त अधिकारी शिक्षा
उत्तराखण्ड।

पत्रांकः अर्थ–1/77177-86 /5क(01)/बजट मांग/2013–14 दिनांक 15 जनवरी 2014

विषयः– वित्तीय वर्ष 2013–14 में आवंटित धनराशि के अभ्यर्पण की प्रक्रिया के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आप अवगत हैं कि वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराशि पृथक आलटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत सौफटवेयर के माध्यम से निदेशालय से आनलाइन अवमुक्त की जा रही है तथा शासनादेश संख्याः 434/XXVII(1)/2012 दिनांक 18 सितम्बर 2012 के क्रम में जनपद के उप शिक्षा अधिकारी कार्यालयों, विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों तथा राजकीय प्राथमिक एव माध्यमिक विद्यालयां हेतु जनपद के वित्त अधिकारियों के द्वारा धनराशि पृथक आलटमैंट आई0डी0 के अन्तर्गत सौफटवेयर के माध्यम से आनलाइन अवमुक्त की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2013–14 में समय–2 पर विभिन्न लेखाशीर्षको में धनराशि अवमुक्त की गयी है, जनपदों से सूचना दी जाती रही है कि कतिपय आहरण वितरण अधिकारियों (उप शिक्षा अधिकारी कार्यालयों, विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों तथा राजकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों से सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी) के पास आवश्यकता से अधिक धनराशि उपलब्ध है जबकि किसी आहरण वितरण अधिकारी को उसी धनराशि की नितान्त आवश्यकता है इसी सम्बन्ध में बजट अभ्यर्पण हेतु मार्गदर्शन मांगा जा रहा है। अतः आहरण वितरण अधिकारियों तथा जनपद के वित्त अधिकारियों द्वारा बजट के अभ्यर्पण के लिए निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

2– बजट अभ्यर्पण हेतु एन0आई0सी0 द्वारा बजट आवंटन हेतु विकसित सौफटवेयर के माध्यम से ही प्रक्रिया अपनायी जायेगी। आहरण वितरण अधिकारी अपने Login पर जाकर Main Menu-Budget पर Click करेंगे उसके बाद Sub Menu-Budget Surrender पर Click करेंगे तथा E-Budget Surrender दिखायी देने पर उसमें आ रही लिस्ट की Dropdown List में अनुदान संख्या, लेखाशीर्षक तथा विभागाध्यक्ष **(अपने से सम्बन्धित CEO)** का चयन करेंगे उसके बाद अभ्यर्पित की जाने वाली धनराशि अंकित करगें। इस प्रकार तैयार आई0डी0 को आहरण वितरण अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर कर अपने सम्बद्ध कोषागार में अंकित कराया जायेगा तथा तैयार आई0डी0 की हार्ड कापी बजट आवंटनकर्ता प्राधिकारी **(अपने जनपद के वित्त अधिकारी)** को उपलब्ध करायी जायेगी। इस प्रकार समर्पित बजट आवंटनकर्ता प्राधिकारी के पास वापस आ जायेगा। इस अवशेष धनराशि को जनपद के किसी अन्य आहरण वितरण अधिकारी को आवश्यकतानुसार आवंटित किया जा सकता है।

Aided 13
67

3– वित्त अधिकारी शिक्षा स्तर पर उपलब्ध ऐसे बजट जिसकी जनपर स्तर पर आवश्यकता नहीं है के समर्पण हेतु वे अपने Login पर जाकर Main Menu-Budget Allotement पर

Click करेंगे उसके बाद Sub Menu-Budget Surrender पर Click करेंगे उसमें आ रही लिस्ट की Dropdown List में अनुदान संख्या, लेखाशीर्षक तथा विभागाध्यक्ष का चयन करेंगे उसके बाद अभ्यर्पित की जाने वाली धनराशि अंकित करें, इस प्रकार तैयार आई0डी0 की हार्ड–कापी को निदेशालय को उपलब्ध करायेंगे। इस प्रकार समर्पित बजट निदेशालय के पास वापस आ जायेगा।

4– इस प्रकार बजट अभ्यर्पण हेतु एन0आई0सी0 द्वारा बजट आवंटन हेतु विकसित सौफटवेयर के माध्यम से ही प्रक्रिया अपनायी जायेगी तथा समर्पण आई0डी0 की प्रतियां बजट आवंटनकर्ता प्राधिकारी को उपलब्ध करायी जायेंगी। कृपया उपरोक्तानुसार बजट अभ्यर्पण की कार्यवाही समयान्तर्गत सम्पादित करने का कष्ट करें तथा प्रक्रिया से अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(पी0के0 जोशी)
वित्त नियंत्रक
विद्यायली शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ0सं0: अर्थ–1/77197–86 /5क(01)/बजट मांग/2013–14 तद् दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड।
2. प्रमुख सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
3. महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड।
4. निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
5. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
6. निदेशक अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड।
7. मण्डलीय अपर निदेशक गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल।
8. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
9. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड।

25/1/14

(पी0के0 जोशी)
वित्त नियंत्रक
विद्यायली शिक्षा उत्तराखण्ड।